

दिनांक 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय और कॉफी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना

1238. श्री ए. राजा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागान उत्पादकों के हित और उद्योग को बनाए रखने के लिए चाय और कॉफी जैसी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उनपर की गई कार्रवाई क्या है; और

(ख) क्या चाय, कॉफी आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मुद्रित किया जाएगा ताकि उत्पादक संघ को रोका जा सके जिसके कारण केवल बिचौलिए फलते-फूलते हैं और चाय और कॉफी उद्योग प्रभावित होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): चाय और कॉफी की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। हालाँकि, वर्तमान में भारत सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य प्रासंगिक कारकों के विचारों पर विचार करने के पश्चात कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। एमएसपी के लिए धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजरसीड, कपास, गेहूं, जौ, चना, दाल (मसूर), रेपसीड/सरसों, कुसुम, जूट और खोपरा अधिदेशित फसलें हैं।
